न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल,आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

(आर.सी.एम.एस.नम्बर 2019/00089)

मुकदमा नम्बर :– 50/2019

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज—————— प्रार्थी।

बनाम

जितेन्द्रसिंह पुत्र बिशनस्वरूप जाति वैश्य निवासी बजरिया तहसील व जिला धौलपुर थाना निहालगंज धौलपुर ————————————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1–प्रार्थी की ओर से :– श्री दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2–अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 22.02.2021

निर्णय

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि दिनांक 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को मुखबिर खास ने इत्तला दी कि इलाका थाना निहालगंज में जितेन्द्र हार्डबेयर एवं इलैक्टीकल बजरिया धौलपुर पर अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेच रहा है । इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय स्टाफ व उप निरीक्षक बिहारीलाल के दुकान पर पहुँचे । दुकान पर अप्रार्थी मौजूद मिला तथा खुद को दुकान का मालिक बताया दुकान पर रखे दस सिलेण्डर बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरने के उपकरण जो उसी दुकान में रखें है। दुकानदार अप्रार्थी से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने बावत पूछा गया तो बताया कि वह बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में एल पी जी गैस भरकर बेचता है। गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया। इसकी दुकान पर 05 गैस सिलेण्डर बडे एच.पी.कम्पनी के जिनमें तीन भरे हुये ब 02 खाली मिले तथा 05 सिलेण्डर छोटे खाली मिले व एक पीतल का उपकरण जिससे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है। अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर मुताविक फर्द जब्ती मौके से 05 गैस सिलेण्डर बडे एच.पी.कम्पनी के जिनमें तीन भरे हुये ब 02 खाली तथा 05

सिलेण्डर छोटे खाली व एक पीतल का उपकरण जिससे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है को अप्रार्थी से जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया । अप्रार्थी को गिरफतार किया गया ।

अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 109/2005 बदफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर तफतीश राजेश पाठक उप निरी. ने की गई दौराने तफतीश बयानात गवाहान लिये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया सिलेण्डर उपकरणों समस्त तप्तीश से मुल्जिम जितेन्द्रसिंह के खिलाफ जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट का जुर्म साबित है। अतः चार्जशीट नम्बर 95/31.7.05 बरखिलाफ मुल्जिम जितेन्द्रसिंह के पेश किया। माननीय न्यायालय सी जे एम धौलपुर द्वारा दिनांक 7.3.2017 को निर्णय कर अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत निस्तारण के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश किया तथा जबाव नोटिस पेश किया । जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी का प्रकरण में कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी ने कभी भी बडे सिलेण्डरों में से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी के कब्जे से कोई सामान/आर्टीकल जब्त ही नहीं हुआ है तो अप्रार्थी को उक्त तथा कथित गैस सिलेण्डर छोटे एवं बडे व गैस भरने के उपकरण से कोई लेना देना नहीं है इस कारण अप्रार्थी को उक्त जब्तशुदा आर्टीकलों को राजसात किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त आर्टीकलों को कभी भी क्लेम नहीं किया है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर अप्प्रार्थी के नहीं है यदि उन्हें राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द जप्ती दिनांक 16.5.2005 की प्रमाणित फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.5.2005 एफ.आर रिर्पोट 31.7.2005 की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के निर्णय दिनांक 7.3.2017 की प्रमाणित फोटो प्रति, पेश की है।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग कर जनता को बेचता है । दुकान पर अप्रार्थी मौजूद मिला तथा छोटे सिलेण्डर गैस भरकर बेचता हुआ पाया गया । निरीक्षण में 05 गैस सिलेण्डर बडे एच.पी.कम्पनी के जिनमें तीन भरे हुये ब 02 खाली मिले तथा 05 सिलेण्डर छोटे खाली मिले व एक पीतल का उपकरण जिससे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है मिले अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने बावत पूछा गया तो बताया कि वह बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में एल पी जी गैस भरकर बेचता है। गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7

आवश्यक अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर मुताविक फर्द जब्ती मौके से 05 गैस सिलेण्डर बडे एच.पी.कम्पनी के जिनमें तीन भरे हुये ब 02 खाली मिले तथा 05 सिलेण्डर छोटे खाली व एक पीतल का उपकरण जिससे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है, अप्रार्थी से जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया । अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन करना पाया गया जो धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नहीं है। अप्रार्थी के कब्जे से कोई सामान/आर्टीकल जब्त ही नहीं हुआ है तो अप्रार्थी को उक्त तथा कथित गैस सिलेण्डर छोटे एवं बडे व गैस भरने के उपकरण से कोई लेना देना नहीं है इस कारण अप्रार्थी को उक्त जब्तशुदा आर्टीकलों को राजसात किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त आर्टीकलों को कभी भी क्लेम नहीं किया है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर अप्प्रार्थी के नहीं है यदि उन्हें राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में 05 गैस सिलेण्डर बडे एच.पी.कम्पनी के जिनमें तीन भरे हुये ब 02 खाली तथा 05 सिलेण्डर छोटे खाली व एक पीतल का उपकरण जिससे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है, पाये गये जो अप्रार्थी के ही हैं। अप्रार्थी बिना लाईसैंसी अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य करता है । जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से मिले हैं तथा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरता पाया गया अतः अप्रार्थी का यह कहना कि जब्तशुदा सिलेण्डर उसके नहीं हैं सिद्ध नहीं होता है। जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के ही है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने अपने निर्णय में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 05 गैस सिलेण्डर बडे एच.पी.कम्पनी के जिनमें तीन भरे हुये ब 02 खाली तथा 05 सिलेण्डर छोटे खाली व एक पीतल का उपकरण जिससे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की

सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0)